न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

दिनांक : 2/8/22

क्रमांक : Lag/2022/14/884

उपखण्ड अधिकारी

सांगोद

विषय : लोकेश कुशवाह s/o राधचन्द्र जाति-माली काली मोहल्ला सांगोद कोटा

-: बनाम :-

कैलाश चन्द s/o मथुरा लाल जाति-माली बोहरा जी गली सांगोद कोटा

अपील विरूद्ध आदेश ......S.D.O. सांगोद........ दिनांक ....9/11/21.......

उपरोक्त वाद में इस न्यायालय द्वारा निर्णय लिये जाने पर आपके न्यायालय पत्रावली सं........ ....09/2021......तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक.........18/7/22.........की प्रतिलिपि पालनार्थ प्रेषित है ।

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

संलग्न :-

1. पत्रावली संख्या -09/2021
2. निर्णय प्रति - 18/7/22
3. - मूल दस्तावेज/ पत्रावली

दिनांक :

क्रमांक/सम/

प्रतिलिपि ....को पालनार्थ प्रेषित है ।

आपके यहां की पत्रावली संख्या..................तथा इस न्यायालय के निर्णय दिनांक............. की प्रति संलग्न कर पालनार्थ प्रेषित है ।

संलग्न :-

1. पत्रावली संख्या
2. निर्णय प्रति

राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

कार्यालय तहसीलदार सांगोद [illegible] (आर.टी.एस.)

क्रमांक – [illegible]/2024/3253 दिनांक 4/7/2022

आदेश

दिनांक:– 23.06.2022

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि कैलाशचन्द पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा एवं लोकेश कुशवाह पुत्र श्री रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उभय पक्षकारान ने माल ग्राम पामलाखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी आराजी(नजरी नक्शानुसार) को खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर उत्तरी आराजी से परस्पर विनिमय कर लिया है तथा मुताबिक विनिमय पक्षकारान द्वारा मौके पर आराजीयात को काबिज होकर काश्त की जा रही है। पक्षकारान द्वारा उक्त संबंध में विनिमय पत्र तहरीर कर दिया है जिसकी पक्षकारान स्वीकृति चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विनिमय स्वीकृति दी जाकर संलग्न विनिमय की स्वीकृति जारी की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ग्राम पामलाखेडी के खाता संख्या 149 व 39 का अवलोकन किया गया। खाता संख्या 149 में खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हेक्टर किस्म चाही द्वितीय खातेदार लोकेश कुशवाह पुत्र रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी सांगोद के नाम दर्ज रिकार्ड है व खाता संख्या 39 में खसरा नंबर 349 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 350 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.बोरिंग, खसरा नंबर 351 रकबा 2.40 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 416 रकबा 1.55 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय किता 5 की 5.13 हैक्टर खातेदार कैलाशचन्द पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार लोकेश द्वारा खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.325 हैक्टर उत्तरी हिस्सा व खातेदार कैलाशचन्द ने खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी दिशा का आपस में विनिमय किया गया है। उक्त विनिमय की गई आराजी का रकबा व किस्म समान हैं।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन होने से विनिमय को स्वीकार करना उचित समझता हूं। अतः ग्राम पामलाखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी आराजी(नजरी नक्शानुसार) को लोकेश कुशवाह पुत्र श्री रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा के नाम से एवं खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर उत्तरी आराजी कैलाशचन्द पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा के नाम से खाते में दर्ज करने के आदेश दिये जाते हैं। पटवारी हल्का उक्तानुसार निर्णय की पालना राजस्व रिकार्ड में कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में इस कार्यालय में पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगोद (भू. अभि.)
तहसीलदार सांगोद

कार्यालय तहसीलदार सांगोद [illegible] (आर.टी.एस.)

दिनांक 4/7/2022

क्रमांक – रेव/2022/3253

आदेश

दिनांक :– 23.06.2022

प्रकरण के तथ्य इस प्रकार से है कि कैलाशचन्द पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा एवं लोकेश कुशवाह पुत्र श्री रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा ने इस न्यायालय में एक प्रार्थना पत्र इस आशय का प्रस्तुत किया कि उभय पक्षकारान ने माल ग्राम पामलाखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी आराजी(नजरी नक्शानुसार) को खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर उत्तरी आराजी से परस्पर विनिमय कर लिया है तथा मुताबिक विनिमय पक्षकारान द्वारा मौके पर आराजीयात को काबिज होकर काश्त की जा रही है। पक्षकारान द्वारा उक्त संबंध में विनिमय पत्र तहरीर कर दिया है जिसकी पक्षकारान स्वीकृति चाहते हैं। अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि विनिमय स्वीकृति दी जाकर संलग्न विनिमय की स्वीकृति जारी की जावे।

उक्त प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर पटवारी हल्का से रिपोर्ट प्राप्त की। मुताबिक रिपोर्ट पटवारी हल्का ग्राम पामलाखेडी के खाता संख्या 149 व 39 का अवलोकन किया गया। खाता संख्या 149 में खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हेक्टर किस्म चाही द्वितीय खातेदार लोकेश कुशवाह पुत्र रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी सांगोद के नाम दर्ज रिकार्ड है व खाता संख्या 39 में खसरा नंबर 349 रकबा 0.72 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 350 रकबा 0.01 हैक्टर गै.मु.बोरिंग, खसरा नंबर 351 रकबा 2.40 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय, खसरा नंबर 416 रकबा 1.55 हैक्टर किस्म चाही द्वितीय किता 5 की 5.13 हैक्टर खातेदार कैलाशचन्द पुत्र मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी सांगोद के नाम दर्ज रिकार्ड है। खातेदार लोकेश द्वारा खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.325 हैक्टर उत्तरी हिस्सा व खातेदार कैलाशचन्द ने खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी दिशा का आपस में विनिमय किया गया है। उक्त विनिमय की गई आराजी का रकबा व किस्म समान हैं।

मुताबिक रिपोर्ट पटवारी प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 48 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के अधीन होने से विनिमय को स्वीकार करना उचित समझता हूं। अतः ग्राम पामलाखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी आराजी(नजरी नक्शानुसार) को लोकेश कुशवाह पुत्र श्री रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा के नाम से एवं खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर उत्तरी आराजी कैलाशचन्द पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा के नाम से खाते में दर्ज करने के आदेश प्रदान किये जाते है। पटवारी हल्का उक्तानुसार निर्णय की पालना राजस्व रिकार्ड में कर पालना रिपोर्ट 7 दिवस में इस कार्यालय में पेश करे।

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

तहसीलदार सांगोद (भू. अभि.)
तहसीलदार
तहसील सांगोद

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

अपील संख्या : 2022 / 14

लोकेश कुशवाह आत्मज रामचन्द्र जाति काछी निवासी काछी मोहल्ला सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।

---अपीलान्ट

बनाम

1. कैलाश चन्द आत्मज मथुरा लाल जाति ब्राह्मण निवासी बोहरा जी की गली वार्ड नम्बर 04, सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा ।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार, सांगोद ।

---रेस्पोडन्ट

उपस्थित :– 1. श्री घनश्याम नागर, अभिभाषक, अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री रविन्द्र खण्डेलवाल, अभिभाषक, रेस्पोडेन्ट कम 01 की ओर से

निर्णय दिनांकः 18.07.2022

1. अपीलान्ट द्वारा उक्त अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, सांगोद जिला कोटा द्वारा पारित निर्णय 09.11.2021 के विरूद्ध पेश की गई हैं ।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट कम 01 ने परीक्षण न्यायालय में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम, 1955 की धारा [illegible] (क) के अन्तर्गत प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर कथन किया कि प्रार्थी के खाते [illegible] खसरा नम्बर 349 रकबा 0.72 हैक्टर, खसरा नम्बर 350 रकबा 0.01 हैक्टर, खसरा नम्बर 351 रकबा 2.40 हैक्टर, खसरा नम्बर 352 रकबा 0.45 हैक्टर, खसरा नम्बर 416 रकबा 1.55 हैक्टर कुल किता 05 कुल रकबा 5.13

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

हैक्टर भूमि वाके ग्राम पामलाखेडी तहसील सांगोद जिला कोटा में स्थित है । प्रार्थी के खाते की भूमि में आवागमन का अन्य कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं है जिसके कारण प्रार्थी की आराजी के पडत रहने की स्थित आ रही है । यदि अप्रार्थी कम 01 के खाते की आराजी खसरा नम्बर 353 रकबा 0.49 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी भूमि रास्ते के रूप में दर्ज कर दी जाती है तो प्रार्थी को सरकारी रास्ता खसरा नम्बर 323 से प्रार्थना पत्र की चरण संख्या 01 में वर्णित अपनी आराजी तक आवगमन करने में परेशानी का सामना नहीं करना पडेगा ।

3. अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार फरमाया जाकर प्रार्थी के पक्ष में इस आशय का आदेश पारित किया जावे कि ग्राम पामलाखेडी तहसील सांगोद के खसरा नम्बर 353 हैक्टर में से 0.03 हैक्टर दक्षिणी भूमि में प्रस्तावित रास्ते में होकर खसरा नम्बर 323 रकबा 0.82 हैक्टर किस्म गै0मु0 रास्ता से प्रार्थी के खेत तक प्रार्थी के कृषि उपकरणों के आवागमन में अप्रार्थी किसी प्रकार की मदाखलत व मजाहमत नहीं करे ।

4. अप्रार्थी कृम 1 व 2 द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थी के प्रार्थना पत्र में कहे गये कथनों को अस्वीकार करते हुए प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज करने का कथन किया ।

5. परीक्षण न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 09.11.2021 के द्वारा प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर अप्रार्थी कम 01 के नाम राजस्व रिकॉर्ड में अंकित खसरा नम्बर 353 रकबा 0.49 हैक्टर में से 2 X 88 = 264 वर्गमीटर अर्थात् 0.0264 हैक्टर दक्षिणी भूमि को गै0मु0 रास्ता घोषित करने तथा अप्रार्थी कृम 01 प्रचलित डीएलसी दर से मूल्य की दोगुनी राशि प्रतिकर के रूप में जमा कराने का आदेश पारित किया ।

6. परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित उक्त अपीलाधीन निर्णय दिनांक 09.11.2021 से व्यथित होकर अप्रार्थी कम 01 अपीलान्ट ने न्यायालय हाजा में अपील प्रस्तुत कर कथन किया कि रेस्पोडेन्ट को रास्ता मौके पर खसरा नम्बर 323 की किस्म गैर मु0 रास्ता नागरराखेडी का मौजूद है । जहाँ पर वैकल्पिक रास्ता मौजूद हो वहाँ पर धारा 251 (ए) के अन्तर्गत रास्ता प्रदान नहीं किया जा सकता । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय त्रुटिपूर्ण है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाई जाकर परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2021 निरस्त फरमाया जावे ।

7. अपील अपीलान्ट दर्ज रजिस्टर की गई । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस सुनी गई ।

8. बहस के दौरान पक्षकारान द्वारा दिनांक 12.07.2022 को लिखित राजीनामा पेश कर । उक्त राजीनामा अनुसार अपील का निस्तारण किये जाने का कथन किया ।

9. हमने पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया । उभय पक्ष के लायक अधिवक्तागण की बहस पर मनन किया एवं पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा का अवलोकन किया । न्यायालय

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

सत्य प्रतिलिपि
न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

हाजा में प्रस्तुत राजीनामे के पक्षकारान की पहचान उभयपक्ष के विद्वान् अभिभाषकगण द्वारा की गई । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत लिखित राजीनामा न्यायालय हाजा द्वारा तस्दीक किया गया ।

10. अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट बरूए राजीनामा स्वीकार की जाती है । परीक्षण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 09.11.2021 निरस्त किया जाता है । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत मूल राजीनामा परीक्षण न्यायालय की पत्रावली के साथ संलग्न कर प्रकरण परीक्षण न्यायालय को प्रतिप्रेषित कर निर्देशित किया जाता है कि पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत उक्त राजीनामा अनुसार अग्रिम कार्यवाही नियमानुसार सम्पादित करें । पक्षकारान को पाबन्द किया जाता है कि वे परीक्षण न्यायालय में दिनांक 29.08.2022 को उपस्थित हों । पक्षकारान द्वारा प्रस्तुत राजीनामे की छाया प्रति न्यायालय हाजा की पत्रावली में संलग्न की जावे ।

11. निर्णय आज दिनांक 18.07.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

सत्य प्रतिलिपि

न्याया. राजस्व अपील प्राधिकारी
कोटा

Signature Not Verified

Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

2021/724

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा।

लोकेश कुशवाह —बनाम— कैलाशचन्द वगैरा

अपील अन्तर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम

बनाराजी आदेश दिनांक 09.11.2021 न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सांगोद जिला कोटा।

—·—:: राजीनामा ::—·—

मान्यवर,

पक्षकारान निम्नलिखित निवेदन करते है :—

यह कि उपरोक्त उनवान का मुकदमा माननीय न्यायालय में जैरकार है जिसमें पेशी दिनांक नियत है।

यह कि उक्त मुकदमें में पक्षकारान के मध्य लोकअदालत की भावना से राजीनामा हो गया है तथा माल ग्राम पामलाखेडी तहसील सॉगोद जिला कोटा में स्थित खसरा नंबर 352 रकबा 0.45 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर पश्चिमी आराजी को खसरा नंबर 575/353 रकबा 0.4636 हैक्टर में से 0.0325 हैक्टर उत्तरी आराजी से परस्पर विनिमय कर लिया है तथा मुताबिक विनिमय पक्षकारान द्वारा मौके पर आराजी का कब्जा भी अदल–बदल कर लिया है और इस संबंध में पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत विनिमय पत्र के मुताबिक राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद करने हेतु कार्यालय तहसीलदार सांगोद के यहां से आदेश कमांक – भू.अ./2022/3253 दिनांक 04.07.2022 का जारी हो चुका है जिससे पक्षकारों के बीच रास्ते की समस्या का हल निकल गया है और विनिमय के परिणामस्वरूपं रेस्पोडेण्ट संख्या 1 के स्वामित्व की भूमि ... रास्ता खसरा नंबर 323 तक टच हो चुकी है। ऐसी सूरत में अधिनस्थ न्यायालय द्वारा पारित हुक्म जैर अपील को दोनों पक्षकारान ... समाप्त करवाना चाहते हैं तथा।

लोकेश

कैलाशचन्द

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

------Contd---2

12/7/22 राजीनामा द्वारा [illegible] कुमावत ने मार्फत अभिभाषक श्री धनप्रकाश नागर द्वारा पेश किया गया। फरीयादी की पहचान उनके अभिभाषक श्री धनप्रकाश नागर द्वारा की गई। मुलजिम कैलाश चन्द की पहचान उनके अभिभाषक श्री रविन्द्र खण्डेलवाल द्वारा की गई। राजीनामा दोनों पक्षकारों को पढ़कर सुनाया गया। दोनों पक्षकारों ने राजीनामा को सही होना बताया। राजीनामा तस्दीक किया जाता है।

(मनोज कुमार)
[illegible] अधिकारी
[illegible]

पहचानकर्ता
रविन्द्र खण्डेलवाल
Adv.

कैलाश शर्मा

लोकेश

पहचानकर्ता
(धनप्रकाश नागर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested

अपीलाण्ट के खाते में से गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज की गई भूमि हाल खसरा नंबर 574/353 की 0.0264 हैक्टर को वापस अपीलाण्ट के खाते दर्ज करवाना चाहते हैं तथा रेस्पोडेण्ट 1 द्वारा अपीलाण्ट को भुगतान हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 54750/- रूपये राशि के डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 084406 दिनांक 24.11.2021 बी.आर.के.जी.बी. बैंक शाखा सांगोद वापस रेस्पोडेण्ट कं. 1 को लौटाये जाने में उभय पक्ष सहमत हैं।

अतः राजीनामा माननीय न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन कि पक्षकारान का राजीनामा तस्दीक फरमाया जावे व अपील अपीलाण्ट स्वीकार कर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय अपास्त फरमाया जाकर अपीलाण्ट के खाते में से गै.मु.रास्ते के रूप में दर्ज की गई भूमि हाल खसरा नंबर 574/353 की 0.0264 हैक्टर को वापस अपीलाण्ट के खाते दर्ज किया जावे तथा रेस्पोडेण्ट 1 द्वारा अपीलाण्ट को भुगतान हेतु अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत 54750/- रूपये के डिमाण्ड ड्राफ्ट क्रमांक 084406 दिनांक 24.11.2021 बी.आर.के.जी.बी. बैंक शाखा सांगोद वापस रेस्पोडेण्ट कं. 1 को लौटाया जावे।

प्रार्थी

स्थान :- कोटा
दिनॉक :- 12.07.2022

लोकेश कुशवाह पुत्र श्री रामचन्द्र कुशवाह जाति काछी निवासी ग्राम सांगोद तहसील सांगोद जिला कोटा।
(अपीलाण्ट)

प्रार्थी

कैलाशचन्द पुत्र श्री मथुरालाल जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम सांगोद तहसील सॉगोद जिला कोटा।

(रेस्पो० कं० 1)

Signature Not Verified
Digitally signed by Ramawtar Meena
Date: 2024.08.28 16:06:30 IST
Reason: SelfAttested